पटना समाहरणालय, पटना।
(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1200/अ0प्र0 दिनांक 31.03.2015 द्वारा पटना जिला को (पूर्व निर्धारित दर पर अवशेष 150 टेंटों की आपूर्ति (क्रय) सम्बन्धित फर्म से किये जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित फर्म बिहार टेन्ट इन्डस्ट्रीज–314– एन0पी0सेन्टर न्यू डाकबंगला रोड, पटना–01 को निम्नांकित विशिष्टयों एवं शर्तों के अध्यधीन इनके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत किये गये नमूना के अनुरूप 150 (एक सौ पचास) टेन्ट की आपूर्ति पूर्व निर्धारित दर पर करने का आदेश दिया जाता है।

क्रमांक	सामग्री का नाम	आकार	मात्रा	स्वीकृत दर प्रति टेन्ट	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01.	**Family Ridge Tent (Double Fly)**	**4 X 4 meter outer height 2.15 mtr. with complete accessories.**	**150**	**16,000.00** (सोलह हजार) रूपया सभी कर एवं मार्ग व्यय सहित	सभी ऐसेसरीज के साथ

1. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा टेन्ट की आपूर्ति नमूना के अनुरूप सभी ऐससरीज के साथ निर्धारित मापदण्ड एवं गुणवत्ता के अनुसार करनी होगी।
2. आपूर्ति किये जाने वाले टेन्ट की गुणवत्ता की जांच अपर समाहर्त्ता, पटना, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र पटना, समादेष्टा एस0डी0आर0एफ0, पटना, जिला लेखा पदाधिकारी, पटना, कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल द्वारा नामित अभियंता, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सदर एवं अंचल अधिकारी, पटना सदर की संयुक्त टीम के द्वारा की जायेगी।
3. आपूर्तिकर्त्ता को आदेशित सामग्री (निर्दिष्ट गुणवत्ता, आकार एवं मात्रा में) की आपूर्ति इस आदेश के निर्गत होने के 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर जिला आपदा प्रबंधन शाखा, पटना समाहरणालय, पटना में करनी होगी जिसमें विफल रहने पर आपूर्त्तिकर्त्ता के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आपूर्ति हेतु कोई भी अग्रिम एवं परिवहन शुल्क अलग से देय नहीं होगा।
4. आपूरित सामग्री की गुणवत्ता एवं मात्रा से संतुष्ट होने पर आवश्यक करों की कटौती के उपरान्त लेखा प्रदायी चेक के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।
5. आपूर्त्तिकर्त्ता फर्म द्वारा कर चुकता प्रमाण पत्र (Tax Clearance Certificate) प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् ही भुगतान किया जाएगा।

5. आपूर्तिकर्त्ता फर्म द्वारा कर चुकता प्रमाण पत्र (Tax Clearance Certificate) प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् ही भुगतान किया जाएगा।

ह०/–
जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक XLII-01/2012 461 /आ०प्र०, पटना दिनांक 08/04/15

प्रतिलिपि :– फर्म बिहार टेन्ट इन्डस्ट्रीज–314– एन0पी0सेन्टर न्यू डाकबंगला रोड, पटना–01, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, पटना, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र पटना, समादेष्टा एस0डी0आर0एफ0, पटना, जिला लेखा पदाधिकारी, पटना, कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल द्वारा नामित अभियंता, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सदर एवं अंचल अधिकारी, पटना सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०,पटना/आई०टी० मैनेजर, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला पदाधिकारी, 7/4
पटना।